क्षेत्र में अपराध की जिम्मेदारी आईजी व एसपी की होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध, सायबर क्राइम व नशा तस्करी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के निर्देश दिए

जयपुर, 13 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था की बैठक में हाल की अपराधिक घटनाओं पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरैस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्यवाही पर आमजन का विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की।

अब क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी। उन्होंने गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन अपराधों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। गोगुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके निर्देश पर नोटिस भी जारी किया गया। उहोंने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध हथियार संगठित अपराध की रीढ़ है और संगठित अपराध को रोकने के लिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिलों में आर्म्स एक्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आमजन का विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अत्यंत गंभीर बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित, कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थिति रहे। वहीं, रेंज महानिरीक्षक एवं समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक वी.सी. के जरिए बैठक से जुड़े।

सरकार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उचित आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त, 2026 तक राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी है। ऐसे में सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 6 जुलाई को पत्र के जरिए सूचित किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा तो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरण में और निकाय चुनाव दो चरण में कराने होंगे और इसमें कुल 90 दिन का समय लगेगा। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और तीन सौ से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराना सही रहेगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में 50 दिन और शहरी निकायों के लिए 40 दिन लगेंगे।

सीमा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जमीनी हकीकत, सुरक्षा सूचनाओं और तथ्यों का आंकलन कर हर मामले पर कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। इस जानकारी के साथ यह कमेटी किसी भी ईमारत को तोड़ने या किसी भी व्यक्ति को ईमारत खाली करने तथा किसी भी अन्य तरह की कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 22 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी। और जिन्होंने बिना उपयुक्त इजाजत के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास दरगाह, मस्जिद, मदरसे आदि का निर्माण किया था, जिसके लिए इन्हें नोटिस दिए गए थे। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता और केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सोलीसीटर जनरल पैरवी के लिये पेश हुये थे।

राजस्थान भर के ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

प्रदेश के दस हजार ट्रकों के पहिए थमे, राज्य की सीमाओं पर 30-35 हजार ट्रक अटके

- **ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, पर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं।**
- **ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत कंपनियां एक डिवाइस के 25-30 हजार वसूल रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह डिवाइस 3 से 6 हजार रूपए में उपलब्ध है।**

जयपुर, 13 जुलाई। वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी),परमिट और ई-डिटेक्शन चालान से जुड़ी समस्याओं को लेकर राजस्थान के ट्रांसपोर्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आव्हान पर प्रदेशभर में करीब दस हजार ट्रकों ने चक्का जाम कर दिया है।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन को लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन सहित, प्रदेश के कई प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन मिला है। अलवर में ट्रांसपोर्टरों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाजार की कुछ दुकानें भी बंद कराईं।

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में वीएलटीडी डिवाइस उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण करीब 30 से 35 हजार ट्रक राजस्थान की सीमाओं के बाहर खड़े हैं। यदि ये वाहन आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना राज्य में प्रवेश करते हैं तो ई-डिटेक्शन कैमरों के जरिए भारी-भरकम ऑनलाइन चालान होने का खतरा है। वहीं डिवाइस नहीं लगने से नेशनल परमिट और फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी अटका हुआ है।

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव गुलशन नागपाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर वीएलटीडी लगाने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय और व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रैकिंग डिवाइस लगने तक अस्थायी परमिट व्यवस्था जारी रखी जाए, ताकि मालवाहक वाहनों का संचालन बाधित न हो।

ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में केवल सीमित कंपनियों को वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन कंपनियों द्वारा एक डिवाइस के लिए 25 से 30 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में यही डिवाइस करीब 3 से 6 हजार रुपए में उपलब्ध है।

एसोसिएशन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने कहा कि ई-डिटेक्शन प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में लाखों रुपए के ऑनलाइन चालान हो रहे हैं। कई बार वाहन मालिकों को इसकी जानकारी तक नहीं होती और बाद में चालानों की लंबी सूची सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ और पुलिस की कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर लगातार परेशान हैं।

केन्द्र सरकार ने एआईएस-140 सुरक्षा मानकों के तहत व्यावसायिक वाहनों में वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किया था। इसके बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने वर्ष 2022 से इस व्यवस्था को लागू करना शुरू किया।

ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो प्रदेश में सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

सोशल मीडिया ने नितिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनिवार्य बनाने की नीति के दौरान "सियान एग्रो" की आय में तेज़ उछाल आया और उसके शेयरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। विपक्षी दलों और विश्लेषकों का कहना है कि यह हितों के टकराव का संभावित मामला हो सकता है। उनका सवाल है कि इस नीति को इतनी तेजी से लागू करने के पीछे जनहित है या निजी लाभ। गडकरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके परिवार का चीनी और एथेनॉल से जुड़ा कारोबार पहले से चल रहा है और उन्हें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है।

गडकरी एथेनॉल को देशहित के लिए बहुत जरुरी मानते हैं। उनका तर्क है कि एथेनॉल के उपयोग से तेल का आयात कम होता है, प्रदूषण घटता है, गन्ने और अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को फायदा होता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों के सफल कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ई-20 तकनीकी रूप से सही साबित हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इंजनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के दावे "पूरी तरह गलत हैं" और ऐसी आलोचनाओं के पीछे "पेट्रोलियम लॉबी" या उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे राजनीतिक विरोधियों का हाथ है, जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं।

गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को भी गलत जानकारी और एक सोची-समझी मुहिम बताया है, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल को कमजोर करना है। उन्होंने ऐसे संगठनों पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है।

यह पूरा मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि किसानों के हित और तेल आयात में कमी लाने, और दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की तैयारी, ग्राहकों की लागत और शासन की छवि के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एथेनॉल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, वहीं गडकरी परिवार के कारोबारी लाभ ने पारदर्शिता को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। जब तक उपभोक्ताओं की शिकायतें जारी हैं और एथेनॉल उत्पादन में पानी की बढ़ती खपत को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, तब तक सरकार को स्वतंत्र और कड़ी जांच के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

'न्यायधीशों ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में लाने का प्रयास कर रहा है।

अमेरिका ने ईरान के भीतर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर गहरे हमले करते हुए मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया है। यह ईरानी ठिकानों पर अमेरिका के नए सैन्य अभियान का दूसरा चरण माना जा रहा है।

इससे पहले, पिछले सप्ताह अमेरिका ने लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इनमें से अधिकांश ईरान के तटीय क्षेत्र में स्थित थे, जहां से होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे थे। ओमान के तट के पास से गुजरने वाले जहाज भी ईरानी हमलों से नहीं बच सके।

ईरान ने सबसे पहले अमेरिका द्वारा स्वीकृत समुद्री मार्ग से गुजर रहे दो जहाजों पर हमला किया था। इनमें दो अत्याधुनिक और अत्यंत महंगे विशाल तेल टैंकर भी शामिल थे।

इस घटना के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान की कड़ी आलोचना की और उन तटीय सैन्य परिसंपत्तियों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया, जहां से ये हमले किए गए थे। अनेक देशों ने इन हमलों की निंदा की और दोनों पक्षों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण वार्ता का माहौल भी बिगड़ गया।

बाद में ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईरान अपने वादों से पीछे हट रहा है और उसने अंतरिम 14-सूत्रीय शांति समझौते के तहत किए जाने वाले अपने दायित्वों का पालन नहीं किया।

इसके जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों ने अंतरिम शांति समझौते को लगभग निष्प्रभावी बना दिया और दोनों पक्षों ने युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन किया।

इस बीच, एक अन्य मोर्चे पर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच भी हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं।

सड़क दुर्घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाबू पुत्र अर्जुनराम, मुकेश पुत्र मेहराराम, और हेमाराम पुत्र जीयाराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही कानोड़ गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए। पचपदरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

.....जब शराब के ठेकेदारों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हस्तक्षेप नहीं है। फैसला कंप्यूटर करता है।" 2018 में योगी आदित्यनाथ द्वारा नई आबकारी नीति लागू किए जाने के बाद से शराब का लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई। इससे रक्षपाल जैसे लोगों का काम आसान हुआ और राज्य के आबकारी राजस्व में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई। नई नीति लागू होने के पहले 10 महीनों में आबकारी राजस्व में 47.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2017-18 और 2018-19 के बीच साल-दर-साल 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तब से राज्य का आबकारी राजस्व लगातार बढ़ता रहा है। 2017-18 में 17,320 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में यह 57,722 करोड़ रुपये हो गया। दस वर्षों में यह तीन गुना से भी अधिक हो गया और उत्तर प्रदेश आबकारी से सबसे अधिक राजस्व कमाने वाला राज्य बन गया। ऐसा नहीं था कि पहले कमाई की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी पूरी राजस्व क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने तक पहुंचने से पहले शराब कार्टल के पास चला जाता था। राज्य को कम राजस्व मिलता था, जबकि ग्राहक ज्यादा कीमत चुकाता था। उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें उसके पड़ोसी राज्यों से ज्यादा थीं, क्योंकि डिस्टिलरी और ब्रुअरी कई वर्षों तक लगभग बिना किसी रोक-टोक के अपनी "एक्स-डिस्टिलरी" कीमतें खुद तय करती थीं। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले 750 मिलीलीटर की एक सामान्य रम की बोतल उत्तर प्रदेश में राजस्थान की तुलना में 102.28 रुपये महंगी थी। लेखा परीक्षक ने 2008 से 2018 के बीच डिस्टिलरी मालिकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को 7,168 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिलने की बात कही थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश अपने सभी पड़ोसी राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है और कई ब्रांड उनसे भी कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। कीमतों में बदलाव का असर रक्षपाल की दुकान पर भी दिखाई देता है। उनकी दुकान रामपुर के बाहरी इलाके में नैनीताल जाने वाली सड़क पर है। वे बताते हैं कि पहाड़ों की ओर जाने वाले पर्यटक रास्ते में उनकी दुकान से शराब खरीदते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद शराब महंगी हो जाती है।

शराब कार्टल को कमाने देने के बजाय, उत्तर प्रदेश सरकार ने वह हिस्सा अपने पास रखा। साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण करके राजस्व बढ़ाने का दूसरा रास्ता भी अपनाया।

राज्य ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला में "ट्रैक एंड ट्रेस" प्रणाली लागू की। हर बोतल पर एक कोड लगाया गया, ताकि डिस्टिलरी से बिक्री केन्द्र तक कहीं भी गड़बड़ी न हो। इससे आबकारी अधिकारियों को तस्करी की शराब और वैध शराब में अंतर पहचानने में भी मदद मिली। पेशे से मधुमक्खी पालक मुकेश पाठक, जिन्होंने रक्षपाल को शराब का लाइसेंस लेने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद की, बताते हैं, "हर बोतल के लेबल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किए बिना एक भी बोतल नहीं बेची जा सकती। इसमें देशी शराब भी शामिल है।" वे आगे कहते हैं, "इससे कम से कम दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री खत्म हो गई है। पहले बिक्री का एक तय कोटा होता था। जिनकी बिक्री कम होती थी, उन्हें अपना कोटा पूरा करने की चिंता रहती थी, जबकि जिनकी बिक्री अच्छी होती थी, वे अपने कोटे से अधिक अवैध शराब भी बेचते थे।" वे आगे बताते हैं कि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि रात 9 या 10 बजे के बाद या ड्राई डे के दिन कोई बिक्री न हो। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने क्यूआर कोड व्यवस्था को और मजबूत किया है। केवल मई महीने में ही अवैध शराब से जुड़े लगभग 9,900 मामले दर्ज किए गए और 2.29 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई।

'न्यायधीशों ने अपना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद से हुई कई बैठकों के बाद जे डी ए ने स्वत: ही यह फैसला लिया कि वह तीन अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण करेगी और इस संदर्भ में एन ओ सी भी जारी करेगी। जबकि अदालत के समक्ष कई सुनवाइयों में यह तथ्य भी सामने आये थे कि अतिक्रमण के कारण जयपुर मेट्रो के टोंक रोड पर बन रहे स्टेशनों के लिए रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा।

अदालत ने तत्कालीन जेडीए कमिश्नर, शिखर अग्रवाल को अपने आदेश में नामजद करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उक्त सड़क के रास्ते में जेडीए की भूमि पर ही अतिक्रमण है परन्तु अतिक्रमणकारियों और गैर कानूनी निर्माणकर्ताओं को मदद करने के लिए जेडीए ने सड़क का अलाइनमेंट बदला है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में जेडीए द्वारा 2018 के ज़ोनल प्लान को ही बदलने का फैसला किया गया और अदालत को भी जेडीए के वकीलों द्वारा सूचित किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिका दायरकर्ता अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि संशोधित प्लान के अंदर सीधी सड़क के बदले एक 90 डिग्री का एक कोण बनाया गया है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में अड़चनें आएंगी और यह बदलाव केवल प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों को सुरक्षा देने के लिए किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस संशोधन को अदालत को पारित नहीं होने देना चाहिए परन्तु वास्तविक जमीनी स्थिति को देखते हुए जेडीए कमिश्नर द्वारा 14 अगस्त 2025 को अदालत के समक्ष कहा गया कि वह संशोधित नक्शे को गजट नोटिफिकेशन के मार्फत जारी करना चाहती है। अदालत ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो, तब सड़क का अलाइनमेंट नहीं बदला जा सकता और किसी भी फेरबदल करने से पहले अदालत की अनुमति लेना आवश्यक है जो इस मामले में नहीं किया गया।

कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित ने अपने 13 अक्टूबर 2025 को दिए गए फैसले में कहा कि वर्ष 2025 में ही हाउसिंग बोर्ड और जेडीए को आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाए परन्तु उनके रवैया से लगता है कि उनकी मंशा ही नहीं थी कि कभी ऐसा हो । इसके साथ ही अदालत ने जेडीए और हाउसिंग बोर्ड की रिअलाइनमेंट करने की गुहार को सिरे से नकार दिया। और जेडीए को कहा कि वह सड़क निर्माण का कार्य मूल मास्टर प्लान के मुताबिक करे।

इस आदेश के बावजूद इस पेचीदगियों से भरे मामले में सबसे रोचक मोड आना अभी बाकी था। दरअसल इस मामले के फैसले के बाद नाथू सिंह नामक एक व्यक्ति, जो मामले में 105 परिवादियों में से एक थे। ने अदालत के समक्ष अप्रैल 2026 में आवेदन पेश किया। इस आवेदन के अनुसार नाथू सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस पी शर्मा पेश हुए थे वर्ष 2013 में । अब जैसा कि विदित है कि कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस पी शर्मा की खंडपीठ ने ही 2025 में फैसला दिया था जो कि कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है। एक वकील जो एक मामले में पैरवी कर चुका हो वह उसी मामले में जज बनने के बाद फैसला नहीं दे सकता।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस पी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अपने 2025 में दिए गए फैसले को "रिकॉल" किया और कहा कि यह मामला ऐसी खंडपीठ के समक्ष लग जाए, जिसका भाग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा न हो।

उल्लेखनीय है कि इस आदेश के बाद यह मामला पुन: सुनवाई के लिए न्यायधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायधीश भुवन गोयल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और इस अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई को आदेश दिए कि जेडीए सड़क की रिअलाइनमेंट के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।

सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दीघाटी रोड को जोड़ने वाली सौ फीट रोड़ का मूल प्लान और नया प्लान।

प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है- सचिन पायलट

पायलट ने बाँसवाड़ा में दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रधान, सरपंच व जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे

- **पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हुरतिंग खड़िया के श्रद्धांजलि समारोह में भी भाग लिया।**

बांसवाड़ा, 13 जुलाई। एआईसीसी महासचिव व प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है। पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं कराना उसके डरे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पायलट ने यह बात बांसवाड़ा दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। पायलट ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिगड़ी हालात में है और प्रदेश की जनता ने सरकार रवानगी तय कर दी है।

एक सवाल के जवाब में पायलट ने केन्द्र और राज्य सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग का आरोप लगाया तथा कहा कि ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी वैमनस्य की भावना से कार्यवाही कर रही हैं।

पायलट ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण पर भी सवाल उठाये और कहा कि यही लोग कहते थे कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन राम मंदिर में आये चंदे पर भी माल चंपत करके चंपत हो गये। पायलट ने कहा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता मजबूती से आगामी दिनों में होने वाले पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत के लिये जुटा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख कांग्रेस के बनने वाले हैं। वागड़ में बाप पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि हर एक राजनैतिक दल का अपना एक नजरिया होता है और राजनैतिक पार्टियां अपने तौर तरीकों व विचारधारा से बनती, आगे बढ़ती और बिगड़ती रही हैं।

इस दौरान बांसवाड़ा विधायक व पार्टी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक नानालाल निनामा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉ. विकास बामनिया, संगठन महासचिव मनीष एन त्रिवेदी, अब्दुल गफ्फार, पूर्व सभापति राजेश टेलर, नवाब खां फौजदार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेन्द्र तेली, अतीत गरासिया, पूर्व प्रधान सुनिता माल सहित अनेक नेता मौजूद रहे।

इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में उमड़े युवा कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारे लगाते हुए सचिन पायलट का स्वागत किया। पायलट ने भी सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान को स्वीकारा।

देर रात तक सर्किट हाउस में मेला लगा रहा। इससे पूर्व, उन्होंने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हुरतिंग खड़िया के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। कुशलगढ़ में भी पायलट की एक झलक पाने के लिये कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व केबिनेट मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, स्थानीय नेता हंसमुख सेठ आदि मौजूद थे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कुशलगढ़ में कार्यकर्ताओं ने हल भेंट कर भव्य स्वागत किया।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908